न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय–सह–विशेष न्यायालय,सीवान।

जी.बी.नगर थाना कांड सं. 156 / 2020

19.06.2021 जी.बी.नगर थाना कांड सं.– 156 / 2020 अंतर्गत धारा 341,323,324,337,147,149, 504,325,506 भा.दं.वि एवं धारा 3(i)(r)(s) अनु.जा.ज.जा.(अ.उ.) अधिनियम में काराधीन अभियुक्त भास्कर कुमार उर्फ विपुल कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर वाट्सएप के माध्यम से आनलाइन सुनवाई करते हुए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास कुमार पाण्डेय एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री भागवत राम को सुना एवं अभिलेख तथा कांड दैनिकी का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार सूचिका सुनिता देवी का मुख्य रूप से आरोप है कि दिनांक 17.06.2020 को करीब 4 बजे शाम को ये अपने पति सुभाष राम एवं पुत्र रनु कुमार के साथ खेत मेंकाम कर रहे थे। उसी समय गॉवके अवधेश कुमार सिंह,रामाशंकर सिंह,प्रदीप सिंह उर्फ भुटु सिंह,धुप सिंह सूचिका के घर के आगे लगे शहतुत के पेड़ को काटने लगे। सूचिका को इसकी सूचना मिलने पर पूछताछ करने गयी तो अवधेश सिंह कुदाल से दाहिने कंधे पर प्रहार कर दिये जिससे सूचिका का कंधा टूट गया। जब सूचिका के पति एवं पुत्र रनु कुमार बचाने आये तो प्रदीप सिंह और रामाशंकर सिंह हाथ में लिए फरसा से प्रहार किये जिससे सूचिका के पति सुभाष राम एवं पुत्र रनु कुमार का सर कट गया और वे बेहाश होकर गिर गये। बगलगीर सुगांन्ती देवी जख्मियों को उठाकर घर के तरफ भागी तभी विजय कुमार सिंह,पुष्कर कुमार,शुभम कुमार,भुपेन्द्र कुमार,भाष्कर कुमार एवं रिषभ कुमार ईट–पत्थर,लाठी डण्डा लिये आये और जाति का नाम लेते हुए गाली गलौज कर ईट पत्थर चलाने लगे जिससे कई लोग जख्मी हो गयी जिनका इलाज अस्पताल में हुआ। सूचिका के अनुसार उक्त सभी दबंग है जो बार–बार गाली गलौज करते रहतें है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। इनका यह भी तर्क है कि इस न्यायालय द्वारा इनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत सं. 1787 / 2020 अस्वीकृत होने के पश्चात इनकी ओर से माननीय उच्च न्यायालय पटना में जमानत हेतु कि.अ. सं. 1215 / 2021 दाखिल किया गया है परन्तु इस बीच अभियुक्त गिरफ्तार हो गयें हैं और माननीय उच्च न्यायालय खुलने पर कि.अ. वापस ले लेंगे।। इनका यह भी तर्क है कि प्राथमिकी में आवेदक के विरूद्ध मारपीट करने अथवा जातिसूचक गाली गलोज करने का स्पष्ट आरोप नहीं है तथा इनके विरूद्ध विशेष अधिनियम का आरोप आकर्षित नहीं होता है तथा शेष भा.दं.वि. की लगायी गयी सभी धारायें जमानतीय है। इनका यह भी तर्क है कि अभियेाजन कथन बिल्कुल असत्यहै तथा पक्षों के बीच पूर्व से भूमि विवाद है। इनका यह भी तर्क है कि यह मामला जी.बी.नगर थाना कांड सं. 153 / 2020 का पलटा वाद है और उसी पलटा वाद एवं पूर्व दुश्मनी से सूचिका ने यह झूठा मुकदमा दाखिल किया है। इनका यह भी तर्क है कि घटना दिनांक 17.06.2020 का होना बताया गया है जबकि घटना की प्राथमिकी दिनांक 19.06.2020 को दर्ज करायी

गयी है और विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नही दर्शाया गया है। इनका यह भी तर्क है कि प्राथमिकी के अनुसार घटना दिनांक 17.06.2020 की है जब कि आवेदक अभियुक्त के बिमार रहने के कारण ये दिनांक 16.06.2020 से दिनांक 26.06.2020 तक अस्पताल में भरती रहें हैं, जिससे भी स्पष्ट है कि इन्हें इस केस में झूठा फसाया गया है। आवेदक स्वच्छ छवि के है तथा दिनांक 14.06.2020 से कारा में है। अतः उक्त के आलोक में इन्हें जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गयी।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका,उसके पति एवं पुत्र को मारपीट किये जाने के कम में उनके बगलगीर सुगान्ती देवी द्वारा बचाव किये जाने के दौरान ईट पत्थर, लाठी डण्डा से मारपीट कर जख्मी करने तथा जाति का नाम लेकर गाली गलौज करने का आरोप है तथा अनुसंधान के दौरान साक्षियों ने भी घटना का समर्थन किया है। इनका यह भी तर्क है कि इस मामले में कुल 7 व्यक्ति जख्मी हुए है जिनका जख्म जॉच प्रतिवेदन कांड दैनिकी में संलग्न है, जिनमें से जख्मी सुगान्ती देवी के एक जख्म को साधारण प्रकृति का तथा हाथ पर लगे जख्म को चिकित्सक द्वारा गम्भीर प्रकृति का पाया गया है और अन्य सभी जख्मियों के जख्म को साधारण प्रकृति का होना पाया गया है। अतःउक्त के आलोक में दाखिल जमानत आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

सुनवाई के दौरान सूचिका द्वारा भी जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा अभियुक्तों द्वारा धमकी दिये जाने की बात कही गयी।

उपरोक्त तर्कों, तथ्यों, परिस्थितियों, आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध सह अभियुक्तों के साथ मिलकर केवल सूचिका के बगलगीर सुगान्ती देवी को मारपीट करने का आरोप होने, जख्मी सुगान्ती देवी के शरीर पर पाये गये दो जख्मों में चिकित्सक द्वारा हाथ पर लगे जख्म को गम्भीर तथा दूसरे जख्म को साधारण प्रकृति का पाये जाने, मामले के अन्य जख्मियों के जख्म को भी चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का पाये जाने, पक्षों के बीच भूमि विवाद होने एवं पलटा मुकदमा दाखिल किये जाने, कांड की प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज कराये जाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं होने, जमानत आवेदन की कंडिका 5 के अनुसार आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं होने, आवेदक के कारा में रहने तथा वर्तमान में कोविड 19 महामारी को देखते हुए आवेदक अभियुक्त को मो0 10,000/– रूपये राशि के दो समान प्रतिभूवाले बंधपत्र दाखिल करने पर इनके द्वारा धारा 437(3)द्व.प्र.सं. के शर्तो के पालनकिये जाने के निर्देश के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,सीवान

19.06.21